कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिक**

कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली शिमला–12 के अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या 1–487/99–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–554, दिनांक 20.01.2000 की अनुपालना में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पूर्वांकेक्षण के आधार पर किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान मण्डी समिति कार्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहेः–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि
01.	श्री महिन्द्र स्तान, अध्यक्ष	01.04.2016 से 31.03.2017
02.	श्री बी0 आर0 तखी, सचिव	01.04.2016 से 20.05.2016
03.	श्री बी0 आर0 गर्ग, सचिव	25.05.2016 से 02.06.2016
04.	श्री हेम राज ठाकुर, सचिव	03.06.2016 से 03.07.2016
05.	श्री बी0 आर0 गर्ग, सचिव	04.07.2016 से 16.08.2016
06.	श्री देव राज कश्यप, सचिव	17.08.2016 से 31.03.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली शिमला–12 के अवधि 01.04.16 से 31.03.17 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितता का सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)₹
1	स्टॉक अग्रिम समायोजन हेतु शेष	6	85.24
2	दुकानों के किराए की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	7	157.71
3	दुकानों से प्राप्त किराए पर सेवा कर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8	9.36
4	विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की कम वसूली	11	1.59

5	कम्पाऊडिंग शुल्क की कम वसूली	13	0.07
6	नाकाचौकियों से प्राप्त आय को बैंक में कम जमा करवाना	16	0.08
7	प्राप्त आय को बैंक में कम जमा करवाना	17	0.26
8	निक्षेप कार्यों (Deposit Works) हेतु जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	19	582.48
9	आय के अस्वीकृत चैकों की राशि की वसूली न करना	20	2.02
10	रोकड बही में प्राप्त आय की प्रविष्टियॉ न करना	21(क)	20.52
11	मण्डी समिति द्वारा जारी चैकों के डेविट की पुष्टि न होना	21(ग)	0.77
12	मण्डी समिति के विभिन्न बचत खातो में क्रेडिट की गई चैकों/नकदी की पुष्टि न होना	22	11.75
13	.उपमण्डी पराला में सम्भावित दुविर्नियोजन	24	0.71
14	स्वाईप मशीन के माध्यम से प्राप्त राशि सम्बन्धित बैंक खाते में क्रेडिट न होना	25	0.99
15	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर विभाग को प्रदत जुर्माना राशि बारे	27	10.00

(ग) आय व व्यय के स्त्रोत के बारे में:–

(i) मण्डी समिति की आय के मुख्य स्त्रोत निम्न प्रकार से है :–

(**1**) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत मण्डी समिति के लाईसैन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत गैर व्यापारियों से जुर्माना शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(**2**) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 40(3) के अर्न्तगत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(**3**) मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों, गोदामों, विश्राम गृहों तथा भवनों से किराए के रूप में प्राप्त आय तथा मण्डी समिति द्वारा स्थापित धर्मकांटे पर तुलाई शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(**4**) मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में निवेश की गई राशियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय।

(5) मण्डी समिति, ढली, फल मण्डी भट्ठा कुफर व आधुनिक फल मण्डी, पराला के मुख्य द्वार के प्रवेश पर ट्रकों व अन्य वाहनों से प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(6) मण्डी समिति के विभिन्न फार्मों के विक्रय से प्राप्त आय।

(7) अन्य आय।

(ii) मण्डी समिति द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित मदों पर व्यय किया जाता हैः–

(1) मानदेय, वेतन, मजदूरी तथा अन्य विभिन्न भत्तों पर व्यय तथा कार्यालय व्यय।

(2) कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा यात्रा/दैनिक भत्ते आदि पर व्यय।

(3) मण्डी समिति के वाहन के डीजल व मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

(4) निक्षेप कार्य के विरूद्ध करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों व रज्जू मार्गों के निर्माण में संलिप्त व्यय।

(5) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर व्यय।

(6) हिमाचल प्रदेश सरकार को अंकेक्षण सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के एवज़ में देय अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित व्यय।

(7) कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण शिविरों व विज्ञापनों पर व्यय।

(8) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 49(3) के अर्न्तगत कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अर्न्तगत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को देने में सलिप्त व्यय।

(9) कार्यालय मशीनरी व उनकी मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

(10) अन्य व्यय।

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

कृषि उपज मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों/अधियाचनाओं का सार Appendix-I में दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

(क) कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12 के अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण श्री श्रवण कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) तथा श्री तनुज शर्मा, लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वांकेक्षण प्रणाली के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के ढली स्थित मुख्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाए गए हैं।

(ख) मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12 द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिन्हें अतिशीघ्र तैयार करके अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाऐंः–

(1) उप मण्डी नेरवा में वर्ष 2005–06 में आबंटित की गई दुकानों की प्राप्त प्रतिभूति राशि का रजिस्टर।

(2) चल एवं अचल सम्पति रजिस्टर।

(3) ब्याज खाता रजिस्टर ।

(4) प्रगतिशील कार्य रजिस्टर ।

(5) समस्त बैकों की माहवार बैंक समाधान विवरणियाँ।

(6) लाईसैंस धारी व्यापारियों की मण्डी शुल्क से सम्बधित सचिकायें (758 लाईसैंस धारी व्यापारियों में से 130 लाईसैंसधारियों की संचिकाएं प्रस्तुत नहीं की गई) ।

(7) गृह निर्माण अग्रिम रजिस्टर।

(8) आर0 टी0 आई0 के एवज में प्राप्त आय का रजिस्टर।

(9) विभिन्न फॉर्मों के विक्रय सम्बन्धी रजिस्टर।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

वर्ष 2016–17 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹10,86,987.00 आंका गया तथा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि, कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय ढली शिमला–12 से चैक संख्या 151221 दिनांक 14.07.2017 (देना बैंक, सन्जौली) द्वारा प्राप्त कर के स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–09 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वितीय स्थिति

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखे मै0 डी0 वी0 चावला एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाऊंटैंट से तैयार करवाए गए हैं तथा उक्त लेखों की सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर द्वारा जारी प्रति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ यथा **Appendix-II** पर संलग्न है। इन लेखों की जाँच में पाया गया कि चार्टर्ड अकाऊंटैंट द्वारा तैयार किए गए लेखों की अधिकतर मदें दिनाँक 31.03.2017 के शेषों के आंकड़ों में कार्यालय अभिलेख के अनुसार भिन्नताएं पाई गई हैं। यद्यपि मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखे अनंतिम (Provisional) रूप में प्रस्तुत किये थे, जिन्हें अंकेक्षण द्वारा पत्र संख्या 412 दिनांक 11.09.2018 द्वारा संवीक्षा के उपरान्त इन लेखों में दर्शाई गई भिन्नताओं के सन्दर्भ में चार्टर्ड अकाउटैंट से लेखों में यथानुसार संशोधन कर पुनः संशोधित

(Revised) वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था। मण्डी समिति द्वारा चार्टड अकाऊंटैंट से आंकड़ों में भिन्नताओं के संशोधनोपरान्त वार्षिक लेखे अंकेक्षण कार्यालय में पत्र संख्या 2305 दिनांक 17.09.2018 द्वारा प्रस्तुत किए गए है। मण्डी समिति के वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखों के तुलन पत्र तथा आय–व्यय खातों पर अंकेक्षण की मदवार टिप्पाणियाँ निम्नलिखित हैं।

तुलनपत्र (Balance sheet)

दायित्व पक्ष (Liabilities)

(क) सामान्य निधिः– कृषि उपज मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर कार्यालय द्वारा प्रारम्भ से ही आय के सन्दर्भ में कोई भी वर्गीकृत खाता बही तैयार नहीं किए गए है, जिसका वर्णन विगत वर्षों के वार्षिक लेखों की टिप्पणियों में भी किया गया है। वर्ष 2016–17 के तुलन पत्र में ₹905212495.22 का प्रारम्भिक शेष दर्शाया गया है, जोकि सही है। वर्ष 2016–2017 के तुलन पत्र में आय का व्यय पर आधिक्य (Surplus) ₹145457147.54 दर्शाया गया है, भी सही है। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चार्टर्ड अकाऊटैन्ट द्वारा तैयार किए गए आय व व्यय खाता में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त तथा आय व व्यय खाता में दर्शाए गए घिसावट व्यय व अपलिखित अनुदान राशि (Grant–in-aid write off) को यथा मानते हुए वर्ष 2016–17 का आय का व्यय पर आधिक्य ₹145457147.54 ही बनता है क्योंकि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा प्रारम्भ से ही चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किए गए हैं। जिस कारण आय व व्यय खाता में दर्शाए गए घिसावट व्यय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आय व व्यय खाता में सभी मद संशोधनोपरान्त उपरोक्त कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही है।

(ख) अनुदान (Grant-in-aid)

तुलनपत्र में वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि शून्य दर्शाई गई है, जोकि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है।

चल दायित्व (Current Liabilities)

(ग) हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को देय मण्डी शुल्क का 25% हिस्साः–

तुलनपत्र के दायित्व पक्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को देय मण्डी शुल्क का 25% हिस्सा ₹21198733.65 दर्शाया गया है जोकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही है।

(घ) दुकानों की प्रतिभूति राशिः–

तुलन पत्र में दर्शाई गई दुकानों की प्रतिभूति ₹9663538 मण्डी समिति कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही है । (वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति

तक यह ₹8879006 थी। वर्ष 2016–17 में प्रतिभूति ₹839885 प्राप्त की गई है तथा ₹55353 वापिस की गई है। इस प्रकार कार्यालय अभिलेख के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति तक मण्डी समिति के पास दुकानों की प्रतिभूति ₹9663538 है।)

(ङ) धरोहर राशि (Earnest Money)

धरोहर राशि के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता।

(च) पंजीकरण शुल्कः–

तुलनपत्र में दर्शाई गई ₹2550000 की पंजीकरण शुल्क की राशि मण्डी समिति के कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही है।

(छ) पंजीकरण शुल्क (अन्य)

वाँछित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण इस मद का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(ज) न्यायालय में अनिर्णीत मार्किट फीस से सम्बन्धित प्रकरण के सन्दर्भ में जमा प्रतिभूति राशिः–

मै0 करोल ब्रदर्स की मार्किट फीस का प्रकरण वसूली हेतु जिला समाहर्ता, शिमला को भेजा गया था उसके खिलाफ उक्त फर्म ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने इस सन्दर्भ में उक्त फर्म को मूल ₹300000 कार्यालय में जमा करवाए जाने के निर्देश दिए थे जोकि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है।

सम्पति पक्ष (Assets)

(झ) स्थाई सम्पत्तियाँ (Fixed Assets)

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा चल व अचल सम्पत्ति का कोई भी अभिलेख तैयार न किये जाने के कारण इन मदों के सत्यापन हेतु कोई अन्य अभिलेख वर्ष 2016–17 के उत्तरांकेक्षण की समाप्ति तक भी अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने के कारण स्थाई सम्पत्तियों के किसी भी मद का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा नहीं किया जा सका है। वर्ष 2016–17 में मण्डी समिति कार्यालय द्वारा ₹30123920 की भूमि का क्रय किया गया है।

चल सम्पतियां (Current Assets)

(ञ) हस्तगत राशि (Cash in hand).

तुलनपत्र के अनुसार हस्तगत ₹253525 दर्शाई गई है, जोकि सही है।

(ट) बैंक शेष (Bank Balances)

तुलनपत्र के बैंक शेष ₹85161549.49 कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही दर्शाया गया है।

(ठ) एफ0डी0आर0 (F.D.Rs)

तुलनपत्र में एफ0डी0आर0 की ₹600524445 दर्शाई गई है जोकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही है। **(परिशिष्ट–क)**

(ड) ऋण एवं अग्रिमः–

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न ऋण एवं अग्रिम की राशि जोकि तुलनपत्र में समेकित रूप में ₹153688395.01 दर्शाई गई है, का पूर्ण सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा ऋण एवं अग्रिम की कुछ मदों का प्रारम्भ से ही सम्बन्धित खाता बही का रख रखाव न किए जाने तथा तदानुसार ही अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाए जाने के कारण इन मदों का सत्यापन करना सम्भव नहीं था। ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित जो अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए हैं, का सत्यापन निम्नलिखित हैः–

(ढ) कर्मचारियों को प्रदत्त अग्रिमः–

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को स्थाई व अस्थाई अग्रिमों की राशि जो वार्षिक लेखों के साथ संलग्न **परिशिष्ट–6** में ₹8523700 दर्शाई गई है, कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है।

(ण) निक्षेप कार्यः–

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा निक्षेप कार्य से सम्बन्धित लैजर प्रारम्भ से ही तैयार नहीं किए गए है, जिस कारण उक्त मद में दर्शाई गई राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका, जिसका वर्णन विगत वर्षों के वार्षिक लेखों की टिप्पणियों में भी किया गया है। वार्षिक लेखों के साथ संलग्न **परिशिष्ट–6** में निक्षेप कार्य ₹104186501 दर्शाया गया है जबकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार ₹109435332 (वर्ष 2015–16 तक ₹51186980 तथा वर्ष 2016–17 में ₹58248352) दर्शाई गई है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें। इसके अतिरिक्त विपणन बोर्ड शिमला से उक्त राशि के समर्थन में समाधान प्रमाण पत्र (Reconcilation Certificate) भी प्राप्त करें।

{त} खण्ड विकास अधिकारी को रज्जूमार्ग के निर्माण हेतु प्रदत्त अग्रिम राशि

तुलनपत्र में वर्ष 2016–17 में खण्ड विकास अधिकारी को रज्जू मार्ग के निर्माण हेतु ₹6,00,000 प्रदान की गई दर्शाई गई है, जो कि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है।

{थ} आयकर

तुलनपत्र में दर्शाई गई ₹3,90,79,022 भी कार्यालय अभिलेखानुसार सही है।

{द} टी0 डी0 एस0

चार्टर्ड अकाउटैंट द्वारा तुलनपत्र में वर्ष 2016–17 में टी0 डी0 एस0 की ₹89,596 दर्शाई गई है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस मद से सम्बन्धित वांछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन नहीं किया जा सका।

{ध} टी0डी0एस0 (2012–2013)

चार्टर्ड अकाउटैंट द्वारा तुलनपत्र में वर्ष 2016–17 में टी0 डी0 एस0 (2012–2013) की राशि ₹78,646 दर्शाई गई है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस मद से सम्बन्धित वांछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन नहीं किया जा सकता ।

{न} प्रतिभूति

तुलनपत्र में दर्शाई गई प्रतिभूति की ₹1,15,930 का अंकेक्षण द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि दर्शाई गई इस प्रतिभूति से सम्बन्धित पूर्व की तरह इस बार भी कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

{प} हि0 प्र0 आवास बोर्ड को प्रदान की गई राशि

तुलनपत्र में दर्शाई गई ₹10,00,000 सही है ।

{फ} प्रतिभूति दूरभाष

तुलनपत्र में दर्शाई गई दूरभाष प्रतिभूति ₹15,000 की अंकेक्षण द्वारा जांच नहीं की जा सकी, क्योंकि दर्शाई गई इस प्रतिभूति से सम्बन्धित इस बार भी कोई अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

आय व व्यय खाता

यद्यपि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय व व्यय से सम्बन्धित कोई भी वर्गीकृत लैजर तैयार नही किए गए हैं। फिर भी अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2016–2017 में मण्डी समिति कार्यालय द्वारा विभिन्न शीर्षकों के अर्न्तगत प्राप्त आय का सत्यापन किया जा चुका है जिसके आधार पर आय व व्यय खाते में अधिकतर मद कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही दर्शाए गए हैं।

5 सहायता अनुदान :– इस वितीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

6 स्टॉफ अग्रिम ₹85.24 लाख समायोजन हेतु शेषः–

मण्डी समिति शिमला व किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12 के अग्रिम रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा निम्न कर्मचारियों को कार्यालय के विभिन्न उद्देश्यों हेतु निम्नलिखित अग्रिम राशियां प्रदान की गई थी जोकि असमायोजित पड़ी थी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति तक इन अग्रिम राशियों का समायोजन नहीं किया गया है। अतः इन समस्त अग्रिम राशियों का समायोजन शीघ्रातिशीघ्र करवाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

असमायोजित अस्थाई अग्रिमों का दिनाँक 31.3.2017 तक का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	**कर्मचारी का नाम**	**अग्रिम बिल सं0**	**दिनांक**	**राशि**
01.	श्री देव राज कश्यप, सचिव	542	15.02.2017	6000
		582	08.03.2017	10000
02.	श्री हेम राज ठाकुर, मण्डी पर्यवेक्षक	261	11.09.2015	7300000
		125	16.06.2016	150000
03.	श्री परस राम वर्मा, मण्डी पर्यवेक्षक	186	21.07.2016	10000
		411	24.11.2016	2500
		428	06.12.2016	1200
		429	06.12.2016	25000
		436	13.12.2016	24000
		525	03.02.2017	5000
		632	24.03.2017	5000
		633	24.03.2017	60000
04.	श्री मनोहर लाल शाक्या, कनिष्ठ सहायक	154	04.07.2016	50000
		229	12.08.2016	60000
		510	23.01.2017	507000
05.	श्री टेक चन्द, ड्राईवर	402	07.12.2015	5,000
06.	श्री प्रेम कुमार शर्मा, चपडासी	498	18.1.2017	3,000
07.	श्री जय प्रकाश शर्मा, कनिष्ठ सहायक	532	12.02.2016	3,00,000
			कुल योग	**₹8523700**

7 दुकानों के किराए की बकाया राशि ₹157.71 लाख वसूली हेतु शेषः–

कृषि उपज मण्डी समिति की दुकानों से सम्बन्धित किराया रजिस्टर व अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "ख"** के अनुसार विभिन्न आबंटियों से दिनांक 31.03.2017 को किराए के रूप में ₹15770580 की राशि वसूली योग्य शेष थी। अंकेक्षण द्वारा लम्बित किराए की वसूली के सन्दर्भ में प्रकरण कृषि उपज मण्डी समिति के कार्यालय से वर्ष 2000–01 से वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लगातार उठाया जा रहा है, किन्तु इस सन्दर्भ में कुछ विशेष सकारात्मक प्रगति नहीं हो पाई है, उपरोक्त शेष किराए की वसूली के अतिरिक्त आगामी वर्षों में भी सभी दुकानों के आबंटियो से निर्धारित शर्तों के अनुसार समय पर किराए की वसूली सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। अतः नियमों/अधिनियमों के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत चूककर्त्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए, ताकि मण्डी समिति को कथित राशियों पर प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में हो रही अप्रत्यक्ष हानि से भी बचा जा सके।

8 दुकानों से प्राप्त किराए पर सेवाकर के रूप में ₹9.36 लाख की वसूली शेषः–

कृषि उपज मण्डी समिति की दुकानों से सम्बन्धित किराया रजिस्टर व अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "ग"** के अनुसार विभिन्न आबंटियों से दिनांक 31. 03.2017 को किराए पर देय सेवाकर ₹936411 वसूली योग्य शेष था। दिनांक 01.06.2007 से किराए के रूप में प्राप्त आय पर सेवाकर सरकार को देय था लेकिन मण्डी समिति द्वारा पूर्व में आबंटियों से किराए की राशि के साथ सेवाकर कर की वसूली नहीं की थी और न ही सम्बन्धित विभाग को इसका भुगतान किया गया था। कुछ प्रकरणों में अभी भी सेवाकर की वसूली नहीं की है, लेकिन सम्बन्धित विभाग द्वारा मण्डी समिति की वर्ष 2006–07 से 2016–17 के तुलनपत्रों (Balance Sheets) में दर्शित किराए की राशि पर निर्धारित दर से सेवाकर की वसूली कर ली गई है। अर्थात मण्डी समिति द्वारा आबंटियो से किराए पर सेवाकर की वसूली न करके अपनी ही निधि से भुगतान कर दिया है, जोकि न्यायसंगत नहीं है। उपरोक्त किराए पर शेष सेवाकर की वसूली के अतिरिक्त आगामी वर्षों में भी सभी दुकानों के आबंटियों से किराए पर सेवाकर की वसूली समय पर सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। अतः चूककर्त्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए उचित कार्रवाई की जाए तथा किराए पर सेवाकर आबंटियों से प्राप्त कर सम्बन्धित विभाग में यथासमय जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 **लाईसैन्सधारियों द्वारा व्यापार शून्य दर्शानाः–**

परिशिष्ट ''घ''(i) में वर्णित व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि इन व्यापारियों द्वारा उनके नाम के विरूद्ध दर्शाई गई अवधियों में व्यापार शून्य दर्शाया है, जैसा कि इन व्यापारियों से सम्बधित 'ओ' फार्म के अवलोकन से विदित होता है।

इस प्रकरण में मण्डी समिति के किसी भी प्राधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस आशय की पुष्टि नहीं की गई है कि इस अवधि में 'शून्य' दर्शाया गया व्यापार वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं अथवा नहीं? जिस से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय एकत्रीकरण पर किसी प्रभावशाली नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के स्थान पर व्यापारियों द्वारा 'ओ' फार्म में की गई घोषणा के आधार पर ही मण्डी शुल्क वसूला जा रहा है, जोकि एक उचित प्रक्रिया नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में नीति निर्धारित करके समय रहते वास्तविकता की पुष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए व सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क को जमा करने हेतू टाल–मटोल करने तथा नियमों/विनियमों की उल्लंघना करने की परिस्थिति में नियमों/अधिनियमों में प्रावधित व्यवस्था के अनुसार दण्ड शुल्क सहित मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। यह प्रकरण प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खलीनी, शिमला, 171002 के विशेष ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है क्योंकि इस प्रकार के संपरीक्षा सुझाव गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शामिल करने के उपरान्त भी इन प्रकरणों में आज दिन तक कोई कार्रवाई/अनुपालना नहीं की गई है, जो स्वतः ही विपणन समिति के हित में नहीं है।

10 **मण्डी शुल्क की वसूली न करने के कारण मण्डी समिति को आय की हानिः–**

मण्डी समिति की वर्ष 2016–17 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट ''घ'' (ii)** में दर्शाये गए व्यापारी जोकि मण्डी समिति के लाईसैंस धारक हैं, से उनके नामों के विरूद्ध दर्शाई गई अवधियों में कोई मण्डी शुल्क वसूल नहीं किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 45(2) एवं हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2005 के नियम 35 के अर्न्तगत सभी लाईसैंस धारकों द्वारा प्रतिदिन क्रय–विक्रय के सम्बन्ध मे ''ओ'' फार्म प्रस्तुत करना तथा 14 दिनों के भीतर ही मण्डी शुल्क अदा करना अनिवार्य है।

इन प्रकरणों में मण्डी शुल्क की वसूली समय पर न किए जाने के कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य आय की हानि के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त योग्य ब्याज की भी

हानि हुई है। वर्ष 2015–16 में ऐसे प्रकरणों की कुल संख्या 326 थी जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 355 हो गई। अतः इस सन्दर्भ में मण्डी शुल्क की वसूली उपरोक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाए, जिससे एक ओर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना हो सके वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को समय पर मण्डी शुल्क की वसूली न होने से मण्डी शुल्क की आय की हानि एवं उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज की हानि से बचा जा सके।

11 लाईसैंसधारी व्यापारियों से नियमानुसार देय मण्डी शुल्क ₹1.59 लाख की कम वसूलीः–

मण्डी समिति के व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट ''घ''(iii)** में दर्शाए गए व्यापारियों के नामों के विरूद्ध दर्शाई गई अवधियों में देय शुल्क से कम मण्डी शुल्क वसूला गया है। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 463 दिनाँक 02.09.2016, 559 दिनॉक 12.01.17, 560 दिनॉक 12.01.17, 87 दिनॉक 14.08.17 व 255 दिनाँक 19.03.18 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को अवगत करवाया गया था, परन्तु मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे प्रकरणों में मण्डी शुल्क की वसूली योग्य देय शुल्क से ₹159138 कम जमा किए जाने के कारण जहॉ एक ओर मण्डी समिति को प्राप्त योग्य आय की हानि हुई है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस राशि पर प्राप्त योग्य ब्याज की भी हानि हुई है। अतः ऐसे प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाए जाते हैं कि लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी समिति अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए, जिससे अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना के साथ–साथ मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की पूर्ण वसूली होने के साथ–साथ उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज की हानि से बचा जा सके।

12 विभिन्न व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क का नियमानुसार भुगतान न किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को ब्याज के रूप में लाखों रूपये की सम्भावित हानिः–

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 35 के अनुसार मण्डी समिति के सभी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा क्रय–विक्रय के सन्दर्भ में प्रतिदिन ओ' फार्म प्रस्तुत करना तथा तदानुसार 14 दिनों के भीतर ही मण्डी शुल्क जमा करवाया जाना अपेक्षित है, किन्तु मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों की सम्बन्धित नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी शुल्क की वसूली उपरोक्त नियमानुसार नहीं की जा रही है तथा अत्यन्त बिलम्ब से की जा रही है । पंजीकृत व्यापारियों द्वारा कई–कई महीनों का मण्डी शुल्क एक साथ जमा करवाया गया है। इस प्रकार इन व्यापारियों से लाखों रुपये

कई–कई महीनों तक वसूली हेतु शेष रहते हैं जिस कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में लाखों रुपयों की अप्रत्याशित हानि हो रही है क्योंकि यदि उक्त मण्डी शुल्क समय पर वसूला गया होता तो संलिप्त राशियों पर बैंक से ब्याज के रूप में मण्डी समिति को अतिरिक्त आय प्राप्त हुई होती। वर्ष 2016–17 में मण्डी समिति कार्यालय में कुल 758 व्यापारी पंजीकृत थे, जिनमें से कुल 628 व्यापारियों की नस्तियां ही अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई । वर्ष 2016–17 में कुल 307 ऐसे प्रकरण है जिन में लाईसैंसधारी व्यापारियों ने नियमानुसार मण्डी शुल्क जमा न करवाकर अत्यन्त बिलम्ब से मण्डी शुल्क जमा करवाया है। जिसकी प्रतिशतता लगभग 49% है जोकि मण्डी समिति के प्रभावशाली नियन्त्रण व पर्यवेक्षण न होने का परिचायक है। यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 408 दिनॉक 07.09.2018 के माध्यम से मण्डी समिति कार्यालय के ध्यानार्थ लाया गया है।

अतः यह प्रकरण पुनः मण्डी समिति के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि विलम्ब से मण्डी शुल्क जमा करने की परिस्थिति में सम्बन्धित व्यापारियों से नियमों/अधिनियमों के प्रावधानानुसार दण्ड सहित वसूला जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क नियमानुसार समय पर भुगतान न करने की प्रवृति पर अंकुश लगाया जा सके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

13 कम्पाऊंड शुल्क ₹0.07 लाख की कम वसूलीः–

मण्डी समिति द्वारा स्थापित नाका चौकी नेरीपुल, शोघी तथा वानीपुल की अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की आय की जाँच करने पर पाया गया कि इन नाका चौकियों में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की वसूली हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 75 व इस सन्दर्भ में मण्डी समिति द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप न करने के कारण यथा विवरण **परिशिष्ट ''ङ''** के अनुसार कम्पाऊंड शुल्क क्रमशः ₹3410, ₹3530 तथा ₹261 अर्थात कुल ₹7201 की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को निश्चित तौर पर हानि हुई है, जिसकी भरपाई सम्बन्धित व्यापारियों अथवा उत्तरदायी कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। ऐसे प्रकरण अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2001–02 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों से लेकर वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अर्न्तगत लगातार मण्डी समिति के ध्यानार्थ लाए जा रहे हैं, परन्तु ऐसे प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि हुई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय इस प्रकार की हानि/दुर्विनियोजन पर अंकुश लगाने तथा मण्डी समिति को हानि से रोकने हेतु गम्भीर नहीं है। अतः यह प्रकरण पुनः मण्डी समिति के उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

14 (i) कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर स्थित ढली, शिमला में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या मे विशेष वृद्धि न होनाः–

कृषि उपज मण्डी समिति **शि**मला का कार्यक्षेत्र प्रदे**श** के दो जिलों अर्थात जिला शिमला व जिला किन्नौर है, परन्तु इस समिति से पंजीकृत कृषि उपज से जुड़े इन दो जिलों के व्यापारियों की संख्या सन्तोषजनक नहीं है, जैसा कि निम्न तालिका के अवलोकन से भी विदित होता हैः–

क्र0सं0	**अवधि**	**कृषि उपज से जुडे उन व्यापारियों की संख्या जो कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर से पंजीकृत है**
1	मण्डी समिति के अस्तित्व में आने से 31.03.2001 तक	629
2	1.4.2001 से 31.3.2002 तक	539
3	1.4.2002 से 31.3.2003 तक	682
4	1.4.2003 से 31.3.2004 तक	637
5	1.4.2004 से 31.3.2005 तक	716
6	1.4.2005 से 31.3.2006 तक	637
7	1.4.2006 से 31.3.2007 तक	599
8	1.4.2007 से 31.3.2008 तक	511
9	1.4.2008 से 31.3.2009 तक	478
10	1.4.2009 से 31.3.2010 तक	504
11	1.4.2010 से 31.3.2011 तक	630
12	1.4.2011 से 31.3.2012 तक	704
13	1.4.2012 से 31.3.2013 तक	678
14	1.4.2013 से 31.3.2014 तक	620
15	1.4.2014 से 31.3.2015 तक	702
16	1.4.2015 से 31.03.2016 तक	768
17	1.4.2016 से 31.03.2017 तक	758

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, **शि**मला एवं किन्नौर कार्यालय कृषि उपज से जुडे व्यापारियों के पंजीकरण के सन्दर्भ में गम्भीर नहीं है क्योंकि यदि किसी वर्ष मण्डी समिति से पंजीकृत कृषि उपज से जुडे व्यापारियों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है, तो आगामी वर्ष में इस संख्या में कमी भी आई है, जैसे कि वर्ष 2008–09 व वर्ष 2016–17 में इस संख्या में बाकी वर्षों की तुलना में भारी कमी/कमी आई है। अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों द्वारा भी लाया जाता रहा है।

अतः इस सन्दर्भ में विपणन बोर्ड एवं विपणन समिति प्राधिकारियों द्वारा वि**शे**ष ध्यान दिये जाने की नितान्त आवश्यकता है, ताकि इस सन्दर्भ में सार्थक प्रगति होने के फलस्वरूप मण्डी समिति की आय में बढ़ौतरी सुनि**श्चि**त की जा सके।

(ii) अधिकतर पंजीकृत व्यापारियों द्वारा वाँछित "ओ" फार्म का न भरनाः–

मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार विगत सोलह वर्षों में ओ फार्म प्रस्तुत न करने की प्रतिशतता में निरन्तर बढ़ौतरी हो रही है। वर्ष 2005–2006, 2006–2007 व 2013–2014 में तो यह प्रतिशतता 50% से अधिक थी तथा 2011–2012, 2012–2013 में यह प्रतिशतता लगभग 50% के ही करीब है जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि पंजीकृत लाईसैन्सधारी व्यापारियों द्वारा क्रय व विक्रय के सम्बन्ध में ओ फार्म प्रस्तुत न करने के कारण जहाँ मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की वसूली न होने के कारण अत्याधिक आय की हानि हो रही है। अतः इस सन्दर्भ में विपणन बोर्ड एवं विपणन समिति प्राधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की नितान्त आवश्यकता है। विगत वर्षों की तालिका का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि	वर्षवार मण्डी समिति के पंजीकृत लाईसैन्सधारी व्यापारियों की सं0	ओ फार्म प्रस्तुत न करने वाले पंजीकृत लाईसन्सधारी व्यापारियों की सं0	ओ फार्म प्रस्तुत न करने वाले पंजीकृत लाईसैन्सधारी व्यापारियों की वर्ष वार प्रतिशतता
1	2001–2002	539	64	11.87%
2	2002–2003	682	135	19.79%
3	2003–2004	637	165	25.90%
4	2004–2005	716	262	36.59%
5	2005–2006	637	331	51.96%
6	2006–2007	599	314	52.42%
7	2007–2008	511	199	38.94%
8	2008–2009	478	70	14.64%
9	2009–2010	504	71	14.09%
10	2010–2011	630	218	34.60%
11	2011–2012	623 (704–81)	285	45.74%
12	2012–2013	678	327	48.23%
13	2013–2014	516 (620–104)	343	66.47%
14	2014–2015	702	95	13.53%
15.	2015–16	628 (768–140)	326	51.91%
16	2016–17	628 (758–130)	355	56.52%

15 अस्वीकृत (Dishonoured) चैक पर बैंक द्वारा काटे गये बैंक प्रभार व अन्य प्रभार के रूप में मण्डी समिति को ₹5167 की हानि का होनाः–

मण्डी समिति के वर्ष 2016–17 की आय से सम्बधित अभिलेख व बैंक खातों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति के ढली स्थित मुख्यालय, उप समिति रामपुर, ठियोग, रोहड़ू व नाकाचौकी नेरीपुल में वर्ष 2016–2017 के दौरान विभिन्न प्रकरणों में लाईसैन्स धारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क के एवज में चैक स्वीकार किए गए, जिन्हें मण्डी समिति द्वारा सम्बधित बैंक खाते में समाशोधन हेतु जमा कर दिया गया, परन्तु बैंक द्वारा चैकों के अनाद्रित होने के कारण बैंक प्रभार व इस के अतिरिक्त कुछ बैंकों द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान अन्य प्रभार के रूप में सम्बधित बैंक खातों में से ₹5167 डेबिट कर दिए गए। इन समस्त राशियों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट ''च''** पर दिया गया है। अतः इस सन्दर्भ में हुई कुल ₹5167 की हानि की भरपाई हेतु प्रकरण सम्बधित फर्मो व बैंकों से उठाते हुए काटे गए बैंक प्रभार की वसूली सम्बधित फर्मो व बैंकों से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को यथा समय अवगत करवाया जाए।

16 विभिन्न नाकाचौकियों से प्रााप्त आय ₹0.08 लाख को बैंक में कम जमा करवानाः–

नाकाचौकी शोघी, नेरीपुल व वानीपुल की वर्ष 2016–2017 की रोकड़ वही, रसीद बुकों व सम्बधित बैंक खातों की जाँच करने पर पाया गया कि इन नाकाचौकियों में प्राप्त आय की वास्तविक राशि में से ₹ 8067 बैंक में कम जमा करवाई गई जिसका विवरण **परिशिष्ट ''छ''** पर दिया गया है। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316 दिनॉक 18.05. 2018 व 370 दिनॉक 18.07.2018 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को अवगत करवाया गया था। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कई प्रकरण अंकेक्षण द्वारा समय–समय पर जारी अंकेक्षण अधियाचनाओं व पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाए गए थे, परन्तु फिर भी इस प्रकार के प्रकरण प्रतिवर्ष घटित हो रहे हैं, जोकि मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों द्वारा नाकाचौकियों में प्रभावी नियन्त्रण व पर्यवेक्षण न किये जाने का परिचायक है। अतः उपरोक्त ₹8067 की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य हेतु इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाए।

17 प्राप्त आय से ₹0.26 लाख को बैंक में कम जमा करवानाः–

मण्डी समिति की उपसमितियों व नाकाचौकी की वर्ष 2016–2017 की रसीद बुकस, रोकड बही व बैंक विवरणियों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति की विभिन्न उपसमितियों व नाकाचौकी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आय की वास्तविक राशि के स्थान पर कम राशि बैकों में जमा करवाई गई है, जिस की पुष्टि सम्बन्धित बैंक खातों की

बैंक विवरणियों से की जा चुकी है। कम जमा करवाई गई ₹ 26229 का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

कम संख्या	विनियमित मण्डी समिति व उप समिति का नाम	फर्म का नाम जिसने भुगतान किया है ।	रसीद संख्या	दिनाँक	रसीद बुक के अनुसार प्राप्त की गई वास्तविक राशि	बैंक में जमा करवाई गई कुल राशि	कम जमा करवाई गई कुल राशि	सम्बन्धित रोकड बही की पृष्ठ संख्या
01.	उप समिति रामपुर	मै0 नन्द कुमार हितेश कुमार, रामपुर	948759	26.04.16	310	शून्य	310	28
		मै0 नर सिंह ट्रेडिंग कम्पनी बिथल	949226	28.04.16	310	शून्य	310	30
		मै0 हेम राज फ्रूट कम्पनी, झाकडी	949231	28.04.16	2100	100	2000	31
		मै0 कृष्णा मीट शाप, नोगली	949237	29.04.16	210	शून्य	210	31
		मै0 सतपाल	949238	29.04.16	960	शून्य	960	31
		मै0 करतार दत	949239	29.04.16	210	शून्य	210	31
		मै0 पिन्टू	949249	12.05.16	450			
		मै0 एच0 एस0 फ्रूट लोडर, किंगल	949250	24.05.16	310			
		मै0 एच0 एस0 फ्रूट लोडर, किंगल	949251	24.05.16	100			
		मै0 एच0 एस0 फ्रूट लोडर, किंगल	949252	24.05.16	250			
		मै0 हंस फ्रूट एण्ड वेजिटेबल स्टोर, रामपुर	949253	30.05.16	18740			
				योग	19850	18400	1450	35
		मै0 स्वरूप चन्द फार्डवडिंग एजैन्सी	949254	05.06.16	310			
		मै0 कैंथला फार्डवडिंग एजैन्सी	949255	08.06.16	310			
		मै0 बी0 डी0 सी0, रत्नपुर	949256	11.06.16	4640			
				योग	5260	5070	190	37
		मै0 एस0 एस0 टिम्बर, किंगल	980121 चैक संख्या 150120	08.01.17	5000	शून्य	5000	55
02.	उप समिति किन्नौर	–	842175 से 842188 तक	25.04.16	70808	70708	100	11 व 12
03.	नाका चौकी वानीपुल	–	1438196 से 1438245 तक	02.11.16	20751	20716	35	111
04.	उपमण्डी ठियोग	मै0 जी0 टी0 सी0	948748	18.04.16	200			
		मै0 जियोमैट्री नेचरल प्रोडयूस	948748	19.04.16	200			
		मै0 धान्टा कास्टा फ्रूट कम्पनी	948744	13.04.16	310			
		मै0 ए0 एस0 फ्रूट प्रा0 लि0 देवीमोड	948746	18.04.16	200			
		मै0 पदम देव शर्मा	948747	18'.04.16	200			

		मै0 दुर्गा आलू कम्पनी	948749 से 948752 तक	19.04.16	10586			
				योग	11696	10696	1000	
		मै0 रामानन्द	953089 चैक संख्या 736888	03.06.16	12464	शून्य	12464	
		मै0 विनोद फ्रूट शिलारू	1449001	14.09.16	50	शून्य	50	
		मै0 गलू अशोक वेज शॉप, सुनारघाटी	1449046 से 1449047 तक	11.11.16	360		360	
05.	उपमण्डी पराला	पार्किंग शुल्क	974201 से 974274 तक	30.07.16	10720	9720	1000	रोकड वही में ईन्द्राज नहीं।
		पार्किंग शुल्क	976482 से 976500 तक	10.08.16	480	390	90	–यथोपरि –
		पार्किंग शुल्क	1407945 से 1408750 तक एवम 973039 से 973041 तक	–	53760	53270	490	–यथोपरि –
						कुल योग	₹26229	

वर्ष 2016–2017 के समस्त प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 316 दिनाँक 18.05.2018, 372 दिनाँक 20.07.2018 तथा इसी प्रकार के कई प्रकरण अंकेक्षण द्वारा समय–समय पर जारी अंकेक्षण अधियाचनाओं व पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाये गये थे, परन्तु फिर भी इस प्रकार के प्रकरण प्रतिवर्ष घटित हो रहे हैं। अतः उपरोक्त उपसमितियों व नाकाचौकी में तैनात कर्मचारियों द्वारा कम जमा की गई राशि की वसूली सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य हेतु इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाए।

18 विभिन्न बचत खातों में अत्याधिक राशि रखने के परिणामस्वरूप मण्डी समिति को प्राप्त योग्य ब्याज की सम्भावित हानि के बारे में:–

मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2016–2017 के विभिन्न बैंकों में संचालित बैंक खातों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा दिन प्रतिदिन के व्ययों के भुगतान करने के उपरान्त भी बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखी जा रही है जैसा कि **परिशिष्ट ''ज''** पर दर्शाए गए विवरण एवं नीचे दी गई तालिका पर बचत खातों में

तिमाही वार जमा राशि के आधार पर बनाए गए विस्तृत विवरण के अवलोकन से विदित होता है जबकि इस राशि का निवेश सुगमता से सावधि जमा योजना में हो सकता था।

क्र0सं0	**तिमाही**	**विभिन्न बैंकों में बचत खातों की जमा राशि**
1	31.03.2016 को समाप्त तिमाही	7,72,87,067.96
2	30.06.2016 को समाप्त तिमाही	7,97,84,676.81
3	30.09.2016 को समाप्त तिमाही	9,16,75,532.24
4	31.12.2016 को समाप्त तिमाही	10,72,50,101.30
5	31.03.2017 को समाप्त तिमाही	8,51,61,549.49

उपरोक्त राशियों का एक सुनिश्चित भाग सुगमता से सावधि जमा योजना में निवेशित किया जा सकता था। यदि उपरोक्त तिमाहीवार बचत खातों में रखी गई राशियों में से आधिक्य राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाता तो मण्डी समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त योग्य राशि की सम्भावित हानि नहीं हुई होती। अतः इस प्रकरण में पूरी छानबीन करने के साथ–साथ मण्डी समिति द्वारा प्रभावी वित्तीय प्रबन्धन भी सुनिश्चित किया जाए तथा आधिक्य राशियों का निवेश सावधि जमा योजना में किया जाए जिससे मण्डी समिति को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके।

19 निक्षेप कार्यों (Deposit Works) हेतु जमा करवाई गई ₹582.48 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खलीनी शिमला–171002 के माध्यम से निक्षेप कार्य के अन्तर्गत करवाया जाता है, जिसके लिए धन की व्यवस्था मण्डी समिति की निधि से की जाती है। मण्डी समिति द्वारा निक्षेप कार्य के अर्न्तगत करवाए गए निर्माण कार्य के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर द्वारा वर्ष 2016–2017 में निर्माण कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला के पास ₹58248352 जमा करवाई गई थी। जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट ''झ''** पर दिया गया है। परन्तु उक्त जमा करवाई गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए है। जिन्हें विपणन बोर्ड कार्यालय से शीघ्र प्राप्त कर अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि न तो हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड निक्षेप कार्य के अन्तर्गत प्राप्त राशि को उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने बारे गम्भीर है

और न ही मण्डी समिति कार्यालय समय–समय पर विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने उपरान्त यथासमय अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने के लिए गम्भीर है। इस प्रकरण में विगत वर्षों से लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	वर्ष	राशि
1	2001–2002	428750
2	2002–2003	350000
3	2003–2004	–
4	2004–2005	4963400
5	2005–2006	2400000
6	2006–2007	8797000
7	2007–2008	9197000
8	2008–2009	9204600
9	2009–2010	17311985
10	2010–2011	9947377
11	2011–2012	8415930
12	2012–2013	15424868
13	2013–2014	9067492
14	2014–2015	18300102
15	2015–2016	23819386

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

20 ₹2.02 लाख की आय के अस्वीकृत (dishonoured) चैकों की वसूली न करनाः–

मण्डी समिति मुख्यालय के हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, ढली के खाता संख्या 4090100558, हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, रामपुर के खाता संख्या 43110103782, हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, नारकण्डा के खाता संख्या 5976 की बैंक विवरणियों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त बैंक में अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के दौरान जो चैक अनाद्रित हुए हैं, उन में से निम्न चैकों की पुनः वसूली की पुष्टि नहीं हो सकी।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	आय की प्रकृति	चैक सं0	कार्यालय द्वारा चैक बैंक में प्रस्तुत करने की तिथि	बैंक द्वारा समाशोधन हेतु चैक प्रस्तुत करने की तिथि	बैंक द्वारा चैक अनादृित करने की तिथि	चैक की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मै0 शिवालय ट्रेडिग कम्पनी	मण्डी शुल्क	016688	06.10.16	06.10.16	06.10.16	37243
2.	मै0 पी0 वे0 जे0 नारकण्डा	मण्डी शुल्क	458066	01.06.16	01.06.16	01.06.16	164729
						कुल योग	₹201972

उपरोक्त चैकों को बैंक विवरणियों के अनुसार कॉलम संख्या 6 में वर्णित तिथियों को क्रेडिट किया गया दर्शाया गया है तथा अनादृित होने की अवस्था में कॉलम संख्या 7 में वर्णित तिथियों को ही बैंक द्वारा क्रेडिट करके बैंक द्वारा पुनः डेबिट भी किया गया, जैसा कि बैंक विवरणियों से भी स्पष्ट होता है, परन्तु इस संदर्भ में पुनः क्रेडिट होने की प्रविष्टी बैंक विवरणी में नहीं पाई गई है तथा उक्त समस्त चैक दिनॉक 31.03.2017 तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुए हैं। इस प्रकार इन चैकों में दर्शाई गई राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो से की जानी अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

21 मण्डी समिति (मुख्यालय) व उप मण्डी पराला की रोकड बही में पाई गई गम्भीर अनियमिततायेः–

(क) रोकड बही में ₹ 20.52 लाख की आय की प्रविष्टियाँ न करना

मण्डी समिति की अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 तक की रसीद बुकस, रोकड बही व सम्बधित बैंक विवरणियों के मिलान करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों को चैक या नकदी के रूप में ₹2052088 प्राप्त की है, जिसकी प्रविष्टियाँ रोकड बही में नहीं की गई हैं। यद्यपि बैंक द्वारा इन राशियों में से चैक के माध्यम से प्राप्त राशियों को विभिन्न तिथियों पर क्रेडिट किया गया दर्शाया गया है। नियमानुसार प्रत्येक प्राप्ति का लेखाकंन यथा समय रोकड़ बही में करना अनिवार्य है लेकिन मण्डी समिति द्वारा इस प्रकार की अनियमितता बारम्बार दोहराई जा रही है जिस का उल्लेख पूर्व में जारी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी किया गया है।

क्रम संख्या	समिति व उप समिति का नाम	व्यक्ति व फर्म का नाम जिससे आय प्राप्त हुई है	चैक संख्या / दिनॉक	रसीद संख्या / दिनॉक	नकद राशि	चैक की राशि	टिप्पणी, यदि कोई है ।
01.	विनियमित मण्डी, ढली	मै0 अनूप फ्रूट कम्पनी, ढली	000545	1465886 / 03.01.17	–	476057	–
02.		मै0 विकास फ्रूट कम्पनी, ढली	550132	1465887 / 03.01.17	–	307250	–
03.		मै0 विकास फ्रूट कम्पनी, ढली	550133	1465889 / 03.01.17	–	39345	–
04.		मै0 विकास फ्रूट कम्पनी, ढली	550134	1465890 / 03.01.17	–	17457	–
05.		मै0 बूटा राम राठौर एण्ड सन्स, ढली	722230	1465891 / 03.01.17	–	1773	–
06.		मै0 बूटा राम राठौर एण्ड सन्स, ढली	722231	1465892 / 03.01.17	–	327182	–
07.		मै0 बूटा राम राठौर एण्ड सन्स, ढली	722232	1465893 / 03.01.17	–	3036	–
08.		मै0 जय माता देसू, ढली	003669	1465894 / 03.01.17	–	258050	–
09.		मै0 रूपामल सीता राम, ढली	011825	1465895 / 04.01.17	–	3128	–
10.		मै0 हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, ढली	–	–	255000	–	मण्डी परिसर में बैंक द्वारा स्थापित ए0 टी0 एम0 के किराए की राशि को बैंक खाते में RTGS के माध्यम से केडिट किया गया है।
11.		मै0 हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, ढली	–	–	2400	–	बैंक द्वारा पटटे की राशि को केडिट किया गया है।
12.	उपमण्डी पराला	मै0 वर्मा फ्रूट कम्पनी, दुकान न0 12, पराला	–	1481401 / 11.01.17	50000	–	₹141000 का चैक अनादि्रत हुआ था बकाया राशि 91000
13.			पार्किंग	973326 से 977920	160580	–	–

			शुल्क	तक			
14.			पार्किंग शुल्क	977921 से 978900 तक , 1407001 से 1407061 तक तथा 1407067 से 1407542 तक	19090	–	–
15.			पार्किंग शुल्क	1407543 से 1408750 तक तथा 973039 से 973041 तक	32660	–	–
16.			पार्किंग शुल्क	1407051 से 1407100 तक , 1408801 से 1412000 तक तथा 1462001 से 1462163 तक	99080	–	–
				योग	**618810**	**1433278**	
				कुल योग	**₹2052088**		

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु लाया जाता है।

(ख) मण्डी शुल्क व अन्य प्राप्त आय की राशियों से अधिक राशियों अथवा कम राशियों का रोकड़ बही में इन्द्राज करना :–

मण्डी समिति के वर्ष 2016–17 के आय से सम्बन्धित अभिलेख, रोकड बही व बैंक खातों की जॉच पर पाया गया कि विभिन्न पंजीकृत लाईसैंसधारी व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क व अन्य आय के रूप में दिए गए चैकों/नकदी से सम्बन्धित राशियों का मण्डी समिति द्वारा वास्तविक राशि से अधिक राशि अथवा कम राशि का ईन्द्राज रोकड वही में किया गया हैं, जिसका विवरण इस प्रकार से हैः–

कम संख्या	**विनियमित मण्डी व उप समिति का नाम**	**व्यक्ति एवं फर्म का नाम जिससे आय प्राप्त हुई है**	**रसीद संख्या/ दिनॉक**	**चैक संख्या**	**रोकड बही पृष्ठ संख्या**	**रसीद बुक के अनुसार प्राप्त की गई वास्तविक राशि**	**रोकड बही में ईन्द्राज की गई राशि**	**रोकड बही में कम व अधिक ईन्द्राज की गई आय की राशि**
			आय					
01.	विनियमित मण्डी, ढली	मै0 सुन्टा फ्रूट कम्पनी	951007/ 16.06.16	–	90 खण्ड–1	120	150	+30
		मै0 शिमला रोलर फलोर मिल	953296/ 22.07.16	178595	124 खण्ड–1	19685	19865	+180
		मै0 प्रकाश फर्नीचर	953298/ 04.08.16	00004	140 खण्ड–1	14004	19004	+5000
		मै0 डी0 एम0 प्रकाश	980313/ 22.08.16	720920	155 खण्ड–1	7617	7613	–4
		मै0 गौरी शंकर	953366/0 9.09.16	492744	176 खण्ड–1	125	1251	+1126
		मै0 आर0 के0	953388/	091544	192	866	8661	+7795

		टिम्बर	27.09.16		खण्ड–1			
		मै0 शिमला फ्रूट एजैन्सी	1465802 / 21.11.16	713263	233 खण्ड–1	8918	8018	–900
		मै0 हीरा नन्द	1442191 / 30.12.16	932703	12 खण्ड–2	31790	71790	+40000
		मै0 चिंरजी लाल	1481027 / 06.02.17	570817	36 खण्ड–2	6261	6162	–99
		वास्तविक राशि से अधिक ईन्द्राज की गई आय की राशि का कुल योग						**₹54131**
		वास्तविक राशि से कम ईन्द्राज की गई आय की राशि का कुल योग						**₹1003**

अतः अनियमितता से सम्बन्धित यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार कार्यवाही करने के उद्देश्य से लाया जाता है।

(ग) मण्डी समिति द्वारा जारी ₹ 0.77 लाख के चैकों के डेबिट की पुष्टि न होनाः–

मण्डी समिति के वर्ष 2016–17 के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख, रोकड बही व बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि वर्ष के दौरान अंकेक्षण द्वारा पारित विभिन्न बिलों के विरूद्ध भुगतान हेतु चैक काटे गये तथा निम्नलिखित बिलों का ईन्द्राज रोकड बही में भी किया गया है, लेकिन वितीय वर्ष के अन्त तक विभिन्न बैंक खातों में डेबिट नहीं किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार से हैः–

क0 सं0	बिल संख्या	व्यय की प्रकृति	चैक संख्या	रोकड बही पृष्ठ संख्या जहॉं–जहॉं प्रविष्टियॉं की गई	राशि
01	**30**	**वेतन बकाया बिल**	**645819**	**41 खण्ड–1**	**6554**
02	171	कानूनी व्यय बिल	630372	116 खण्ड–1	17500
03	502	यात्रा भता बिल	715229	31 खण्ड–2	3064
04	502	यात्रा भता बिल	715231	31 खण्ड–2	1720
05	506	किराया बिल	715237	35 खण्ड–2	1000
06	572	प्रतिभूति वापिसी बिल	717595	64 खण्ड–2	45353
07	594	किराया बिल	717955	70 खण्ड–2	1000
08	596	किराया बिल	717960	70 खण्ड–2	1000
				कुल योग	**₹77191**

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार कार्यवाही करने के उददेश्य से लाया जाता है।

(घ) रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव न करनाः–'

हि0 प्र0 वित्तीय नियम 1971 (खण्ड–1) के नियम 2.2 के प्रावधानानुसार न तो प्रत्येक माह के अन्त में रोकड शेष निकाले गए हैं और न ही इन्हें मण्डी समिति के किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। मण्डी समिति की विभिन्न उपसमितियों व नाकाचौकियों की रोकड बहियों में नकद जमा व चैकों को सम्बन्धित बैंक में जमा करने की

न तो प्रविष्टि की जाती है और न ही जमा करने की पर्ची (Pay-in- slip) अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाती है जिसके अभाव में जमा की गई राशि के सत्यापन करने में अत्याधिक समय बर्वाद होता है। इसके अतिरिक्त उक्त नियम के प्रावधानानुसार वॉछित शेषों का प्रमाण पत्र भी रोकड बही में अंकित नहीं किया गया है और न ही इसे हस्ताक्षरित किया गया है। ऐसी अवस्था में आय–व्यय की प्रविष्टियों के सन्दर्भ में त्रुटियों की सम्भावनाएं होना स्वभाविक ही हैं। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करने के उद्देश्य से लाया जाता है।

22 मण्डी समिति के विभिन्न बचत खातो में क्रेडिट की गई ₹11.75 लाख के चैकों/नकदी की पुष्टि न होनाः–

मण्डी समिति मुख्यालय के हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, ढली के खाता संख्या 558, उपमण्डी रामपुर के खाता संख्या 3782, उपमण्डी नेरवा के खाता संख्या 2849, उपमण्डी रिकांगपिओं के खाता संख्या 15154 उपमण्डी कोटी के खाता संख्या 0878 उपमण्डी नारकण्डा के खाता संख्या 5976, उपमण्डी ठियोग के खाता संख्या 12087 व एच0 डी0 एफ0 सी0 छोटा शिमला के खाता संख्या 2401 की बैंक विवरणियों की जाँच करने पर पाया गया कि इन बैंकों ने विभिन्न तिथियों को निम्न चैकों/नकदी को क्रेडिट किया गया दर्शाया गया है, किन्तु इन चैकों/नकदी के सन्दर्भ में न तो सम्बन्धित रोकड बही में कोई प्रविष्टि की गई है तथा न ही अंकेक्षण को इस से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। इन चैकों/नकदी का विवरण इस प्रकार से हैः–

क0 सं0	बैंक का नाम व खाता संख्या	चैक संख्या	तिथि	राशि
1	हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, ढली खाता संख्या 558	–	27.09.2016	49520
2	–यथोपरि–	–	05.10.2016	20976
3	–यथोपरि–	009649	02.12.2016	45721
4	–यथोपरि–	544204	24.01.2017	9632
5	–यथोपरि–	000039	24.01.2017	22865
6	–यथोपरि–	457590	24.01.2017	26881
7	–यथोपरि–	–	01.03.2017	5000
8	–यथोपरि–	–	30.03.2017	1883
9	–यथोपरि–	–	31.03.2017	8043
10	–यथोपरि–	–	31.03.2017	5624
11	–यथोपरि–	–	31.03.2017	110
12	–यथोपरि–	–	31.03.2017	119000

13	–यथोपरि–	–	31.03.2017	72852
14	–यथोपरि–	–	31.03.2017	1153
15	–यथोपरि–	–	31.03.2017	110
16	–यथोपरि–	–	31.03.2017	4252
17	–यथोपरि–	–	31.03.2017	110
18	हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, रामपुर खाता संख्या 3782	247716	12.11.2016	4885
19	–यथोपरि–	327947	17.02.17	33942
20	हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, नेरवा खाता संख्या 2849	–	13.06.16	30000
21	हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, रिकांगपिओ खाता संख्या 15154	–	25.04.16	225
22	–यथोपरि–	–	15.10.16	100
23	–यथोपरि–	–	31.03.17	14200
24	हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, कोटी खाता संख्या 0878	–	01.10.16	5000
25	–यथोपरि–	–	04.11.16	9300
26	–यथोपरि–	–	28.11.16	6285
27	हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, नारकण्डा खाता संख्या 5976	–	04.01.17	20547
28	पंजाब नैशनल बैंक ठियोग, खाता संख्या 12087	–	13.04.16	343
29	–यथोपरि–	–	17.05.16	743
30	–यथोपरि–	–	07.09.16	4764
31	–यथोपरि–	–	23.01.17	616320
32	–यथोपरि–	–	09.03.17	3286
33	–यथोपरि–	–	15.03.17	24767
34	एच0 डी0 एफ0 सी0 छोटा शिमला खाता संख्या 2401		23.02.17	40
35	–यथोपरि–		04.03.17	500
36	–यथोपरि–		05.03.17	400

37	–यथोपरि–	08.03.17	958
38	–यथोपरि–	13.03.17	628
39	–यथोपरि–	24.03.17	3937
40	–यथोपरि–	29.03.17	56
41	–यथोपरि–	29.03.17	50
		कुल योग	**₹1175008**

अतः उपरोक्त दर्शाए गए चैक/नकदी के रूप में प्राप्त राशि किस फर्म से प्राप्त हुई तथा किस लिए प्राप्त हुई, इस से सम्बन्धित तथ्यों की छानबीन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्राप्त की गई राशि की पुष्टि/सत्यापन किया जा सके।

23 मण्डी समिति की सावधि जमा राशियों को परिपक्वतता पर बिलम्ब से स्थानान्तरित करने पर ब्याज के रूप मे ₹0.33 लाख की हानि का होनाः–

मण्डी समिति के वर्ष 2016–2017 के सावधि जमा रजिस्टर, बैंक विवरणियों व सावधि जमा राशियों की जॉच करने पर पाया गया कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ ईण्डिया, हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक, ढली व यूको बैंक, ढली द्वारा सावधि जमा योजना के अर्न्तगत विभिन्न बैंकों में निवेशित राशियों को परिपक्वतता पर पुनः निवेश हेतु स्थानान्तरित न करके बिलम्ब से स्थानान्तरित करने पर व्याज के रूप में ₹ 32544 की हानि हुई है, जिस का विवरण यथा **परिशिष्ट "ञ"** पर संलग्न किया गया है। अतः उक्त प्रकरण की पूरी छानबीन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व सम्बन्धित बैंको से कम दिए गए ब्याज की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

24. उपमण्डी पराला में ₹0.71 लाख का सम्भावित दुविर्नियोजनः–

मण्डी समिति की उप समिति पराला के वर्ष 2016–17 के आय से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच करने पर पाया गया कि उप समिति पराला में वर्ष के दौरान विभिन्न वाहनो से पार्किंग शुल्क व अन्य आय की वसूली की गई है। पार्किंग शुल्क का ईन्द्राज केवल सम्बन्धित रजिस्टर में ही किया गया है। लेकिन रोकड बही में इस का ईन्द्राज नहीं किया गया है। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्राप्त आय को मण्डी समिति के किसी भी बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया है जिस का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	रसीद संख्या	दिनाँक	आय की प्रकृति	रसीद बुक के अनुसार प्राप्त की गई वास्तविक राशि	बैंक में जमा करवाई गई राशि	कम जमा करवाई गई राशि
1	1409818 से 1411243 तक	15.09.16 से 30.09.16 तक	पार्किंग शुल्क	38750	शून्य	38750
2	1411244 से 1412000 तक एवम 1462001 से 1462133 तक	15.09.16 से 30.09.16 तक	पार्किंग शुल्क	26860	शून्य	26860
3	1462134 से 1462163 तक	15.09.16 से 30.09.16 तक	पार्किंग शुल्क	2110	शून्य	2110
4	973033	25.08.16	फार्म का मूल्य	50	शून्य	50
5	973036	27.08.16	फार्म का मूल्य	150	शून्य	150
6	973042	02.09.16	फार्म का मूल्य	100	शून्य	100
7	973048 से 973050 तक	06.09.16	फार्म का मूल्य	200	शून्य	200
8	973052 एवम 973053	11.09.16	फार्म का मूल्य	200	शून्य	200
9	973057 से 973060 तक, 973062 एवम 973063	22.09.16 से 28.09.16 तक	फार्म का मूल्य	420	शून्य	420
10	973066	30.09.16		2156	शून्य	2156
				कुल योग		**70996**

उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ अंकेक्षण अधियाचना संख्या 407 दिनाँक 07.09.2018 के माध्यम से भी लाया गया था लेकिन अंकेक्षण प्रतिवेदन लिखे जाने तक इस सन्दर्भ में कोई भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। अतः यह मामला पुनः मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके मण्डी समिति निधि में जमा करवाई जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 स्वाईप मशीन के माध्यम से प्राप्त ₹0.99 लाख सम्बन्धित खाते में क्रेडिट न होनाः—

मण्डी समिति के मुख्यालय ढली, शिमला —12 की वर्ष 2016—17 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा अलग—अलग तिथियो को विभिन्न स्त्रोतों से ₹99401 की आय को प्राप्त किया है। रोकड वही में प्रस्तुत विवरणानुसार इस आय को एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, छोटा शिमला द्वारा बचत खाता संख्या 50100191472401 के अर्न्तगत

जारी स्वाईप मशीन के माध्यम से एकत्रित किया गया दर्शाया गया है। चूकि आय की प्राप्ति हेतु इलैक्ट्रॉनिक संसाधनो ंका उपयोग किया गया जिस के कारण तुरन्त प्रभाव से ही सम्बन्धित खाते में जमा होना अपेक्षित था। अंकेक्षण में प्रस्तुत बैंक विवरणियों का रोकड वही में मिलान करने पर पाया गया कि उपरोक्त ₹99401 की राशि जाोकि स्वाईप मशीन के माध्यम से वसूली गई थी, के जमा की पुष्टि नही की जा सकी । यद्यपि स्वाईप मशीन के माध्यम से प्राप्त राशि तुरन्त प्रभाव से सम्बन्धित खाते में जमा हो जाती है। विभिन्न तिथियो को इस प्रकार प्राप्त की गई आय का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रम संख्या	रसीद संख्या/दिनांक	आय की प्रकृति	राशि	रोकड वही पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
01.	20713, 20719 एवं 20724 दिनांक 04.03.17	तुलाई शुल्क	240	54	-
02.	1480590 एवं 1480591 दिनांक 04.03.17	पार्किंग शुल्क	20	54	-
03.	20726, 20727 एवं 20731 दिनांक 06.03.17	तुलाई शुल्क	240	55	-
04.	20728,20740,20741,20743, 20745, 20746, 20750,20751 एवं 20755 दिनांक 06.03.17	तुलाई शुल्क	720	55	-
05.	20765 एवं 20768 दिनांक 09. 03.17	तुलाई शुल्क	160	58	-
06.	20774, 20775, 20777, 20780, 20781 एवं 20782 दिनांक 09.03.17	तुलाई शुल्क	480	58	-
07.	20794 एवं 20795 दिनांक 10. 03.17	तुलाई शुल्क	160	60	-
08.	20800 दिनांक 10.03.17	तुलाई शुल्क	80	60	-
09.	20808 से 20811तक दिनांक 10.03.17	तुलाई शुल्क	140	60	-
10.	1480766 दिनांक 10.03.17	पार्किंग शुल्क	10	60	-
11.	20817, 20818 एवं 20824 दिनांक 14.03.17	तुलाई शुल्क	240	61	-
12.	20836 से 20839 तक , 20846, 20847 20849,20852,20855,20856, 20858 एवं 20859 दिनांक 15.03.17	तुलाई शुल्क	880	63	-
13.	20864, 20870, 20877, 20878, 20880, 20881, 20889,20893, 20895, 20896, 20902 एवं 20906 दिनांक 20.	तुलाई शुल्क	960	67	-

	03.17				
14.	1480678 दिनांक 20.03.17	पार्किंग शुल्क	30	67	-
15.	20915, 20917, 20920, 20922, 20924, 20928, 20936, 20947, 20950, 20960	तुलाई शुल्क	800	69	-
16.	20977 से 20981 तक, 20989 से 20992, 21000, 21007, 21008 एवं 21010 दिनांक 24.03.17	तुलाई शुल्क	1280	71	-
17.	21036, 21041, 21048, 21052, 21059, 21060 एवं 21061 दिनांक 28.03.17	तुलाई शुल्क	560	73	-
18.	1481628 दिनांक 28.03.17	पार्किंग शुल्क	30	73	-
19.	21079, 21093, 21094, एवं 21098 दिनांक 29.03.17	तुलाई शुल्क	320	75	-
20.	1148118 दिनांक 31.03.17	मण्डी शुल्क	350	78	-
21.	1148119 से 1148121 तक , 1148126 से 1148129 तक दिनांक 31.03.17	लाईसैंस नवीनीकरण शुल्क	770	78	-
22.	1148132, 1148136 से 1148139 तक एवं 1148132 एवं 1148133	लाईसैंस नवीनीकरण शुल्क	770	79	-
23.	1148134 एवं 1148135 दिनांक 31.03.17	मण्डी शुल्क	4540	79	-
24.	1148140, 1148141 एवं 1148144 दिनांक 31.03.17	मण्डी शुल्क	85621	79	-
		कुल योग	**₹99401**		

उपरोक्त स्वाईप मशीन के माध्यम से प्राप्त आय, जिस के क्रेडिट की पुष्टि दिनांक 31.03.2017 तक नहीं हो पाई हैं। इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक के समक्ष उठाकर उपरोक्त राशि को मण्डी समिति निधि में क्रेडिट किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार से प्राप्त आय के क्रेडिट की पुष्टि यथासमय की जाए। क्योंकि इस प्रकार की कोताही मण्डी समिति कार्यालय की कार्यदक्षता व प्रभावशाली पर्यवेक्षण के अभाव को प्रदर्शित करती है जिसका भविष्य में परिहार किया जाए।

26 वाहन की ईंधन की खपत निर्धारित माप दण्डों से कम होने के फलस्वरूप ₹0.13 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी0ए0डी0–ए (डी)–1–98 दिनांक 21.1.97 जी0ए0डी0–ए (डी) 1–1–96 दिनांक 4.2. 2006 तथा जी0ए0डी0–ए (डी)–1–1/96–1 दिनांक 14.7.14 द्वारा सरकार ने टोयोटा–ईनोवा की डीजल की औसत खपत स्थानीय यात्रा के लिए 7.24 किलोमीटर प्रति लीटर तथा लम्बी

दूरी की यात्रा हेतु 10.02 किलोमीटर प्रति लीटर दर निर्धारित की है जबकि मण्डी समिति के वाहन संख्या एच0पी0–07 डी–5900 ईनोवा की डीजल की औसत खपत सरकार द्वारा निर्धारित उक्त माप दण्डों से कम पाई गई है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016–17 में वाहन में डीजल की निम्नविवरणानुसार ₹ 13358.57 की अधिक खपत की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उत्तरदायी से की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

	माह के दौरान तय दूरी			सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर प्रति लीटर	कुल राशि
माह	लम्बी दूरी में तय दूरी (कि0मी0)	स्थानीय यात्रा की तय दूरी (कि0मी0)	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत (ली0 में)	स्थानीय यात्रा पर तेल खपत (ली0 में)	यात्रा पर कुल खपत(ली0 में)	(ली0 में)	(ली0 में)	₹	₹
5/16	1997	896	2893	199.30	123.76	323.06	354	30.94	51.55	1594.96
6/16	2444	998	3442	243.91	137.83	381.74	413	31.26	55.24	1726.80
7/16	2643	904	3547	263.77	124.86	388.63	424.98	36.35	55.20	2006.52
8/16	1941	1210	3151	193.71	167.12	360.83	379	18.17	51.97	944.29
9/16	1703	1118	2821	169.96	154.42	324.38	364	39.62	53.36	2114.12
10/16	2789	974	3763	278.34	134.53	412.87	448	35.13	54.68	1920.90
11/16	2971	647	3618	296.50	89.36	385.86	434	48.14	55.96	2693.91
1/17	2118	721	2839	211.37	99.58	310.95	317	6.05	59.02	357.07
									कुल योग	13358.57

27 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर विभाग को ₹10.00 लाख की जुर्माना राशि से भुगतान बारे:–

मण्डी समिति की विनियमित मण्डी ढली व विभिन्न उपसमितियों की दुकानों को मण्डी समिति द्वारा विभिन्न व्यापारियों को आबंटित किया है, जिन का किराया प्रतिमाह मण्डी समिति द्वारा वसूला जाता है। आयकर विभाग द्वारा दिनांक 01.06.2007 से अद्यतन समय–समय पर जारी विभिन्न दरों पर प्राप्त किराया की राशि पर सेवाकर की अदायगी हेतु अधिसूचनांए जारी की जाती रहीं हैं। मण्डी समिति द्वारा आबंटियों से प्राप्त किराए की राशि के साथ नियमानुसार सेवाकर की वसूली नहीं की थी और न ही इसे सम्बन्धित विभाग में यथासमय जमा करवाया था। इस प्रकरण को अंकेक्षण द्वारा पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाया गया था। उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आदेश संख्याः11–13/डी0सी0/एस0टी0/एस0एम0एल0/2016 दिनांक 29.12.2016 द्वारा कुल ₹1002943 की सेवाकर व उसके उपर वित अधिनियम 1994 की धारा 77 के अनुसार

₹20000 का जुर्माना व वित अधिनियम 1994 की धारा 78 के अनुसार ₹1002943 का जुर्माना लगाया गया है। वितीय वर्ष 2016–2017 में मण्डी समिति द्वारा बिल संख्या 666 दिनांक 31.03.2017 द्वारा किराए की राशि पर सेवाकर यथासमय अदा न करने के एवज में ₹1000000 बतौर जुर्माना राशि का भुगतान सेवाकर आयुक्त, रेलवे बोर्ड बिल्डिंग, परिक्षेत्र शिमला–03 को किया गया है। समय पर सेवाकर की अदायगी न करने के कारण जुर्माना अदा करने बारे अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 619 दिनांक 31.03.2017 द्वारा आपति की है। यदि मण्डी समिति द्वारा आयकर विभाग द्वारा समय–समय पर किराए पर सेवाकर की निर्धारित दरों से किराए के साथ सेवाकर की वसूली आबंटियों से करके सम्बन्धित विभाग में यथासमय जमा करवाया गया होता तो मण्डी समिति को उपरोक्त ₹1000000 जुर्माने की राशि अदा नहीं करनी पडती।

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में उतरदायित्व निर्धारित करते हुए उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए अथवा यह प्रकरण सम्बन्धित न्यायाधिकरण के समक्ष जुर्माना वापिसी हेतु उठाया जाए तथा की गई कार्यवाही अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 विभिन्न बिलों से ₹1.43 लाख की स्थल पर की गई कटौती (Retrenchment) के बारे मेंः–

निवासी अंकेक्षण योजना के पूर्वाकेंक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये विभिन्न बिलों की वर्ष 2016–2017 में जाँच पड़ताल के दौरान ₹142554 की कटौती अंकेक्षण द्वारा स्थल पर करवा दी गई थी। अतः मण्डी समिति के प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में पूर्वांकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न बिलों की सही प्रकार से जाँच पड़ताल के उपरान्त ही इन्हें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें व आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए ताकि अनियमित अदायगी की किसी भी सम्भावना से बचा जा सके।

29 निष्कर्ष

कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर स्थित, ढली, शिमला–171012 के लेखों का रखरखाव सन्तोषजनक नहीं है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा बैंक समाधान विवरणियाँ भी तैयार नहीं की गई है और न ही बैंक खातों का नियमानुसार मिलान भी किया जा रहा है। पुराने लम्बित पडे अंकेक्षण पैरों व अंकेक्षण अधियाचनाओं को निपटाने में गतिशीलता नगण्य है। हिमाचल प्रदेश वितीय नियम, 2009 के नियम 26 के अर्न्तगत प्रत्येक संस्था को अंकेक्षण हेतु समस्त वॉछित अभिलेख उपलब्ध करवाना संस्थाध्यक्ष का दायित्व है, जिस हेतु अंकेक्षण द्वारा पत्र संख्याः 325 दिनांक 28.05.2018 व 328 दिनांक 29.05.2018 द्वारा

अभिलेख मांगे गये थे लेकिन मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण हेतु सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए जिस का उल्लेख इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 2 (ख) में भी किया गया है। जिस कारण जहाँ अंकेक्षण कार्य में अवरोध पैदा होता है वहीं अंकेक्षण प्रतिवेदन को तैयार करने में भी अत्यन्त बिलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठाँकनसंख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)38 / 70–खण्ड–4,–59–62दिनांकः,04.01.19
शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृतः–1. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति शिमला किन्नौर स्थित ढली, हिमाचल प्रदेश पिन–171012 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड विपणन भवन खलीनी शिमला–171002
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
4. अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना विपणन समिति शिमला किन्नौर स्थित ढली शिमला–171012

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

Appendix-I **पैरा 1 (घ) से सन्दर्भित**

(क) लेखा परीक्षा रिर्पोट अवधि 7/74 से 3/83

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ए, सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (बी, सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत

(ख) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/83 से 3/84

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7 (ए)	अनिर्णीत

(ग) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 7 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा 8 (ए),(डी),(ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 15	अनिर्णीत
9	पैरा 16(3),(8) एवं (9)	अनिर्णीत

(घ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7(1), (6), (7) एवं (14)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (1) एवं (2)	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12 (1)	अनिर्णीत

(ङ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/86 से 3/88

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (ए) एवं (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(बी) एवं (डी से जी)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(ए से डी)	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत

(च) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/88 से 3/91

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (क से ङ तक)	अनिर्णीत
3	पैरा 7 (क से ग तक)	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 10 (क से ग तक)	अनिर्णीत
7	पैरा 10 (च)(1 से 7 तक)	अनिर्णीत
8	पैरा 10 (5)(1 से 4 तक)	अनिर्णीत
9	पैरा 11	अनिर्णीत
10	पैरा 12 (क से ख तक)	अनिर्णीत
11	पैरा 14	आंशिक अनिर्णीत
12	पैरा 14 (क से ङ तक)	अनिर्णीत
13	पैरा 15 (ख से ग तक)	अनिर्णीत
14	पैरा 16 (क,ख,ग,घ,च,छ,ज,झ,ञ एवं ट)	अनिर्णीत
15	पैरा 17	अनिर्णीत
16	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत
17	पैरा 20	अनिर्णीत
18	पैरा 22	अनिर्णीत
19	पैरा 23	अनिर्णीत
20	पैरा 24 (क तथा ख)	अनिर्णीत
21	पैरा 25	अनिर्णीत
22	पैरा 26	अनिर्णीत
23	पैरा 27	अनिर्णीत
24	पैरा 28	अनिर्णीत

25	पैरा 29	अनिर्णीत

(छ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/91 से 3/96

1	पैरा 3 (ग), (3), (4) एवं (9)	अनिर्णीत
2	पैरा 4 (क) (4)	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 6(क,ख) (1 से 5) ग,घ,ङ,च तथा छ)	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (क) (1,4,5,6) तथा (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 7 (क) (3)	अनिर्णीत
7	पैरा 8 (क) (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा 8 (ख)	आंशिक निर्णीत
9	पैरा 9 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा 10 (क) (2)	अनिर्णीत
11	पैरा 10 (ख) (2)	आंशिक निर्णीत
12	पैरा 10 (घ) (1 तथा 2)	अनिर्णीत
13	पैरा 10 (ङ)	अनिर्णीत
14	पैरा 10 (च) (1) एवं (3)	अनिर्णीत
15	पैरा 10 (ज) (1) (ए तथा बी)	अनिर्णीत
16	पैरा 10 (ज) (2 तथा 3)	अनिर्णीत
17	पैरा 10 (झ)	आंशिक निर्णीत
18	पैरा 10 (ण)	आंशिक निर्णीत
19	पैरा 11	अनिर्णीत
20	पैरा 12	अनिर्णीत
21	पैरा 13	अनिर्णीत
22	पैरा 14	अनिर्णीत
23	पैरा 15	अनिर्णीत
24	पैरा 16	अनिर्णीत
25	पैरा 17	अनिर्णीत
26	पैरा 18	अनिर्णीत
27	पैरा 19	अनिर्णीत
28	पैरा 20	अनिर्णीत

29	पैरा 21	अनिर्णीत
30	पैरा 22	अनिर्णीत
31	पैरा 23	अनिर्णीत

(ज) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/96 से 3/99

1	पैरा 3 (ख) (2) एवं (7)	अनिर्णीत
2	पैरा 3 (ख) (9 से 12)	अनिर्णीत
3	पैरा 3 (ग) (3), (6), (8) एवं (9)	अनिर्णीत
4	पैरा 6 (क) एवं (ख)	आंशिक निर्णीत
5	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा 8 (क) एवं (ख) (1 से 5)	अनिर्णीत
8	पैरा 8 (ग) (1 से 2)	अनिर्णीत
9	पैरा 9 (क), (ख) एवं (ग)	अनिर्णीत
10	पैरा 10 (क),(ख) एवं (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 11 (1 से 9)	अनिर्णीत
12	पैरा 12	अनिर्णीत
13	पैरा 13	अनिर्णीत
14	पैरा 14	आंशिक निर्णीत
15	पैरा 15	आंशिक निर्णीत
16	पैरा 17	अनिर्णीत
17	पैरा 18	अनिर्णीत
18	पैरा 19 (क से घ)	अनिर्णीत
19	पैरा 20	अनिर्णीत
20	पैरा 21	अनिर्णीत
21	पैरा 22	अनिर्णीत
22	पैरा 23	अनिर्णीत
23	पैरा 24	अनिर्णीत
24.	पैरा 28	अनिर्णीत
25	पैरा 29 (क तथा ख)	अनिर्णीत
26	पैरा 30	अनिर्णीत
27	पैरा 34 (क), (ख) एवं (ग)	अनिर्णीत

28	पैरा 35 (1, 2 एवं 3)	अनिर्णीत
29	पैरा 35 (5, 6 व 7)	अनिर्णीत
30	पैरा 36 (1 से 3)	अनिर्णीत
31	पैरा 38 (1 से 4)	अनिर्णीत
32	पैरा 39	अनिर्णीत
33	पैरा 41	अनिर्णीत
34	पैरा 42	अनिर्णीत
35	पैरा 43	अनिर्णीत

(झ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा 3 (ख) (10, 11 एवं 12)	अनिर्णीत
2	पैरा 3 (ग) (2)(1, 2,3,6,7,9 व (12)	अनिर्णीत
3	पैरा 3 (ग) 2 (10)	आंशिक निर्णीत
4	पैरा 3 (घ) (1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा 9	आंशिक निर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 17	अनिर्णीत
13	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा 19	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 22	अनिर्णीत
17	पैरा 23	अनिर्णीत
18	पैरा 24	अनिर्णीत
19	पैरा 26	अनिर्णीत
20	पैरा 28	अनिर्णीत
21	पैरा 29	अनिर्णीत
22	पैरा 31	अनिर्णीत

23	पैरा 32	अनिर्णीत
24	पैरा 34	अनिर्णीत
25	पैरा 35	अनिर्णीत
26	पैरा 37 (1), (2)	अनिर्णीत
27	पैरा 37 (3) (1 से 6)	अनिर्णीत
28	पैरा 38	अनिर्णीत
29	पैरा 40	अनिर्णीत
30	पैरा 41	अनिर्णीत
31	पैरा 42	अनिर्णीत
32	पैरा 43 (1 से 14)	अनिर्णीत
33	पैरा 44	अनिर्णीत

(ञ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (क तथा ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 9 (ग)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11 (क तथा ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 14 (ख)	आंशिक निर्णीत
11	पैरा 15	अनिर्णीत
12	पैरा 16 (क से घ) एवं (ण)	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत
14	पैरा 18	आंशिक निर्णीत
15	पैरा 19	अनिर्णीत
16	पैरा 20	अनिर्णीत
17	पैरा 21	अनिर्णीत
18	पैरा 23	अनिर्णीत
19	पैरा 24	अनिर्णीत
20	पैरा 25	अनिर्णीत

21	पैरा 26	अनिर्णीत
22	पैरा 27	अनिर्णीत
23	पैरा 28	अनिर्णीत
24	पैरा 30	अनिर्णीत
25	पैरा 31	अनिर्णीत
26	पैरा 32	अनिर्णीत
27	पैरा 33	अनिर्णीत
28	पैरा 34	अनिर्णीत
29	पैरा 35	अनिर्णीत
30	पैरा 36 (क से घ) एवं (ण)	अनिर्णीत
31	पैरा 38	अनिर्णीत
32	पैरा 39	अनिर्णीत
33	पैरा 40	अनिर्णीत
34	पैरा 41	अनिर्णीत
35	पैरा 42	अनिर्णीत
36	पैरा 43	अनिर्णीत
37	पैरा 45	अनिर्णीत
38	पैरा 46 (क तथा ख)	अनिर्णीत

(ट) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा 5 (क,ख तथा ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 18	अनिर्णीत
11	पैरा 19	अनिर्णीत
12	पैरा 20	अनिर्णीत

13	पैरा 21	अनिर्णीत
14	पैरा 23	अनिर्णीत
15	पैरा 24	अनिर्णीत
16	पैरा 25	अनिर्णीत
17	पैरा 26	अनिर्णीत
18	पैरा 27	अनिर्णीत
19	पैरा 28	अनिर्णीत
20	पैरा 29	अनिर्णीत
21	पैरा 30	अनिर्णीत
22	पैरा 31	अनिर्णीत
23	पैरा 32	अनिर्णीत
24	पैरा 34	अनिर्णीत
25	पैरा 35	अनिर्णीत
26	पैरा 36	अनिर्णीत
27	पैरा 37	अनिर्णीत
28	पैरा 38	अनिर्णीत
29	पैरा 39	अनिर्णीत
30	पैरा 40 (ए तथा बी)	अनिर्णीत
31	पैरा 41	अनिर्णीत
32	पैरा 42	अनिर्णीत
33	पैरा 43	अनिर्णीत
34	पैरा 44	अनिर्णीत
35	पैरा 45	अनिर्णीत

(ठ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत

8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 17	अनिर्णीत
13	पैरा 18	अनिर्णीत
14	पैरा 19	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 21	अनिर्णीत
17	पैरा 22	अनिर्णीत
18	पैरा 23	अनिर्णीत
19	पैरा 24	अनिर्णीत
20	पैरा 25	अनिर्णीत
21	पैरा 26	अनिर्णीत
22	पैरा 27	अनिर्णीत
23	पैरा 28	अनिर्णीत
24	पैरा 29	अनिर्णीत
25	पैरा 30	अनिर्णीत
26	पैरा 31	अनिर्णीत
27	पैरा 32	अनिर्णीत
28	पैरा 33	अनिर्णीत
29	पैरा 34	अनिर्णीत
30	पैरा 35	अनिर्णीत
31	पैरा 36	अनिर्णीत
32	पैरा 37	अनिर्णीत
33	पैरा 38	अनिर्णीत
34	पैरा 39	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत

5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 17	अनिर्णीत
12	पैरा 18	अनिर्णीत
13	पैरा 19	अनिर्णीत
14	पैरा 20	अनिर्णीत
15	पैरा 21	अनिर्णीत
16	पैरा 22	अनिर्णीत
17	पैरा 23	अनिर्णीत
18	पैरा 24	अनिर्णीत
19	पैरा 25	अनिर्णीत
20	पैरा 27	अनिर्णीत
21	पैरा 29	अनिर्णीत
22	पैरा 30	अनिर्णीत
23	पैरा 31	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 14	अनिर्णीत
11	पैरा 15	अनिर्णीत
12	पैरा 17	अनिर्णीत

13	पैरा 19	अनिर्णीत
14	पैरा 20	अनिर्णीत
15	पैरा 22	अनिर्णीत
16	पैरा 23	अनिर्णीत
17	पैरा 24	अनिर्णीत
18	पैरा 25	अनिर्णीत
19	पैरा 26	अनिर्णीत
20	पैरा 27	अनिर्णीत
21	पैरा 28	अनिर्णीत
22	पैरा 29	अनिर्णीत
23	पैरा 32	अनिर्णीत
24	पैरा 33	अनिर्णीत
25	पैरा 34	अनिर्णीत
26	पैरा 35	अनिर्णीत
27	पैरा 36	अनिर्णीत
28	पैरा 37	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 16	अनिर्णीत
11	पैरा 18	अनिर्णीत
12	पैरा 21	अनिर्णीत
13	पैरा 24	अनिर्णीत
14	पैरा 25	अनिर्णीत
15	पैरा 26	अनिर्णीत

16	पैरा 27	अनिर्णीत
17	पैरा 28	अनिर्णीत
18	पैरा 29	अनिर्णीत
19	पैरा 31	अनिर्णीत
20	पैरा 32	अनिर्णीत
21	पैरा 33	अनिर्णीत
22	पैरा 35	अनिर्णीत
23	पैरा 36	अनिर्णीत
24	पैरा 37	अनिर्णीत
25	पैरा 38	अनिर्णीत
26	पैरा 39	अनिर्णीत
27	पैरा 40	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 3	अनिर्णीत
3	पैरा 4	अनिर्णीत
4	पैरा 5	अनिर्णीत
5	पैरा 7	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10	अनिर्णीत
9	पैरा 11	अनिर्णीत
10	पैरा 12	अनिर्णीत
11	पैरा 13	अनिर्णीत
12	पैरा 14	अनिर्णीत
13	पैरा 15	अनिर्णीत
14	पैरा 17	अनिर्णीत
15	पैरा 18	अनिर्णीत
16	पैरा 19	अनिर्णीत
17	पैरा 20	अनिर्णीत
18	पैरा 21	अनिर्णीत
19	पैरा 22	अनिर्णीत

20	पैरा 24	अनिर्णीत
21	पैरा 25	अनिर्णीत
22	पैरा 26	अनिर्णीत
23	पैरा 27	अनिर्णीत
24	पैरा 28	अनिर्णीत
25	पैरा 29	अनिर्णीत
26	पैरा 30	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत
10	पैरा 16	अनिर्णीत
11	पैरा 17	अनिर्णीत
12	पैरा 19	अनिर्णीत
13	पैरा 21	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत

10	पैरा 16	अनिर्णीत
11	पैरा 17	अनिर्णीत
12	पैरा 19	अनिर्णीत
13	पैरा 21	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 14	अनिर्णीत
8	पैरा 15	अनिर्णीत
9	पैरा 16	अनिर्णीत
10	पैरा 17	अनिर्णीत
11	पैरा 18	अनिर्णीत
12	पैरा 19	अनिर्णीत
13	पैरा 20	अनिर्णीत
14	पैरा 21	अनिर्णीत

(न) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 16 (I से VII)	अनिर्णीत
10	पैरा 17	अनिर्णीत
11	पैरा 18	अनिर्णीत

12	पैरा 19	अनिर्णीत
13	पैरा 20	अनिर्णीत
14	पैरा 21	अनिर्णीत
15	पैरा 22	अनिर्णीत
16	पैरा 23	अनिर्णीत

(प) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत
10	पैरा 18	अनिर्णीत
11	पैरा 19	अनिर्णीत
12	पैरा 20	अनिर्णीत
13	पैरा 21 (क,ख तथा ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 22 (i, ii)	अनिर्णीत
15	पैरा 23	अनिर्णीत
16	पैरा 24	अनिर्णीत
17	पैरा 25	अनिर्णीत
18	पैरा 26	अनिर्णीत

(फ) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत

8	पैरा 14 (i,ii)	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत
10	पैरा 16	अनिर्णीत
11	पैरा 18	अनिर्णीत
12	पैरा 19	अनिर्णीत
13	पैरा 21	अनिर्णीत
14	पैरा 22 (क, ख, ग ,घ तथा ङ)	अनिर्णीत
15	पैरा 23	अनिर्णीत
16	पैरा 24	अनिर्णीत
17	पैरा 26	अनिर्णीत
18	पैरा 27	अनिर्णीत
19	पैरा 28	आंशिक निर्णीत
20	पैरा 30	अनिर्णीत
21	पैरा 31	अनिर्णीत
22	पैरा 32	अनिर्णीत

(ब) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत
10	पैरा 16	अनिर्णीत
11	पैरा 17	अनिर्णीत
12	पैरा 18	अनिर्णीत
13	पैरा 19	अनिर्णीत
14	पैरा 20	अनिर्णीत
15	पैरा 21 (क, ख, ग, घ एवं ड)	अनिर्णीत

16	पैरा 22	अनिर्णीत
17	पैरा 24	अनिर्णीत
18	पैरा 25	अनिर्णीत
19	पैरा 26	अनिर्णीत
20	पैरा 27	अनिर्णीत
21	पैरा 28	अनिर्णीत
22	पैरा 29	अनिर्णीत
23	पैरा 30	अनिर्णीत
24	पैरा 31	अनिर्णीत
25	पैरा 33	अनिर्णीत
	(भ) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2014 से 3/2015	
1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 17	अनिर्णीत
13	पैरा 18	अनिर्णीत
14	पैरा 19	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 21	अनिर्णीत
17	पैरा 22	अनिर्णीत
	(म) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2015 से 3/2016	
1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत

4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16 (i, ii)	अनिर्णीत
12	पैरा 17	अनिर्णीत
13	पैरा 18	अनिर्णीत
14	पैरा 19	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 21	अनिर्णीत
17	पैरा 22 (क, ख, ग, घ, ङ एवं च)	अनिर्णीत
18	पैरा 23	अनिर्णीत
19	पैरा 24	अनिर्णीत
20	पैरा 25	अनिर्णीत
21	पैरा 26	अनिर्णीत
22	पैरा 27	अनिर्णीत
23	पैरा 28	अनिर्णीत
24	पैरा 29	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का सार

प्रारम्भिक शेष	526
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	24
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	शून्य
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2017 तक	550